नम्बर
अहकाम
तामील

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेटपरिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2024/427

मिसल नम्बर–45 / 2024

1.विजय सिंह उम्र 50 वर्ष आत्मज मोतीलाल जाति बंजारा निवासी कसार तह0 लाडपुरा जिला कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।

अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 28/3/25

उपस्थितिः–

1.श्री रघुवीर सिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थी।

2.सरकार पैरोकार।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि साबिक ख0नं0 1089 रकबा 0.90 है0 आराजी वाके ग्राम कसार तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है। उक्त सम्पूर्ण आराजी पूर्व में प्रार्थी के भाई गिर्राज खींची के नाम दर्ज रेकार्ड थी। उक्त आराजी में से 1/2 हिस्सा अर्थात 0.45 है0 आराजी पूर्वी दिशा की प्रार्थी के भाई द्वारा प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 30.05.2019 के माध्यम से प्रार्थी को दान कर दी जिसके आधार पर उक्त हिस्से आराजी के नवीन ख0नं0 2025/1089 पूर्ववर्ती रकबा 0.45 है0 कायम कर प्रार्थी के नाम दर्ज की गई जिस पर प्रार्थी उक्तानुसार काबिज चला आ रहा है। उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में उक्त आराजी दर्ज होने के पश्चात सेग्रीगेशन कार्य के दौरान प्रार्थी के दर्ज उक्त खसरा नम्बर की तरमीम नक्शे में गलत रूप से दस्तावेज व मौके से भिन्न दिशा में तहसील कार्यालय द्वारा कर दी गई जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा तहसील में जाकर नक्शा मौका एवं दस्तावेज में वर्णित दिशा अनुसार दुरूस्ती करवाने का निवेदन किया गया लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है इस कारण प्रार्थी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश करना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खाते दर्ज आराजी ख0नं0 2025/1089 पूर्ववर्ती रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम कसार तहसील लाडपुरा जिला कोटा का नक्शा ट्रेस दस्तावेज में वर्णित दिशा व मौके अनुसार पूर्वी दिशा में किये जाने

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तहसीलदार के नाम आदेश जारी किया जाकर राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस में दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णित किया कि आवेदक विजय सिंह बंजारा ग्राम कसार ख0नं0 1089 कुल रकबा 0.90 है0 था उक्त सम्पूर्ण आराजी पूर्व में प्रार्थी के भाई श्री राम खींची के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी उक्त आराजी का 1/2 हि0 अर्थात 0.45 है0 आराजी पूर्वी दिशा की प्रार्थी के भाई द्वारा प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 30.05.2019 के माध्यम से प्रार्थी को दान कर दी जिसके आधार पर उक्त हिस्से आराजी के नवीन ख0नं0 2025/1089 पूर्ववर्ती रकबा 0.45 है0 कायम कर प्रार्थी के नाम नामान्तरण सं0 1729 स्वीकृत दिनांक 22.07.2019 को नाम दर्ज की गई। नामान्तरण में दिशा प्रार्थी को पूर्ववर्ती सही दर्ज की गई थी परन्तु नक्शे में तरमीम भी गलत दर्ज है एवं दिशा भी प्रार्थी के नाम गलत दर्ज है। पूर्व के स्थान पर पश्चिम दिशा में प्रार्थी का नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

बाद तहसील रिपोर्ट दौरानें बहस प्रार्थीपक्ष अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र पत्र के कथनों को दोहराया। प्रार्थीगण की ओर से अपनी बहस के समर्थन में विजय सिंह पुत्र श्री मोतीलाल का शपथ पत्र पेश हुआ।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों नक्शा ट्रेस, नामान्तरण की प्रति एवं उपहार पत्र की प्रति का भी अवलोकन किया गया। चूंकि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में कथन किया है कि नामान्तरण में दिशा प्रार्थी को पूर्ववर्ती सही दर्ज की गई थी परन्तु नक्शे में तरमीम भी गलत दर्ज है एवं दिशा भी प्रार्थी के नाम गलत दर्ज है। पूर्व के स्थान पर पश्चिम दिशा में प्रार्थी का नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली में संलग्न उपहार पत्र की प्रति के अवलोकन से भी इस बात की पुष्टि होती है कि प्रार्थी के भाई के द्वारा प्रार्थी विजय सिंह को खसरा नं0 1089 में पूर्ववर्ती रकबा 0.45 है0 आराजी उपहार में दी है। नामान्तरण में दिशा पूर्ववर्ती दर्ज है परन्तु नक्शे में तरमीम गलत दर्ज है एवं दिशा भी प्रार्थी के नाम गलत दर्ज है। पूर्व के स्थान पर पश्चिम दिशा में प्रार्थी का नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अतः उपरोक्तानुसार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 के तहत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम कसार पटवार हल्का कसार तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खसरा संख्या 2025/1089 रकबा 0.45 है0 का नक्शा ट्रेस में तरमीम नामान्तरकण पत्र में वर्णित दिशा व मौके अनुसार पूर्व दिशा में की जावे।

उक्त निर्णय आज दिंनाकः...28/3/25.....को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी कोटा

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा